न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 120/2014
दायर दिनांक : 12.09.2014

अनवान

1. नन्दकिशोर पिता भैरूलाल सनाढ्य निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजकुमार पिता रोशनसिंह नागौरी निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ़ हाल भीलवाड़ा।
2. प्रकाश कंवर पत्नि मनोहरसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ़ हाल भीलवाड़ा।
3. गजराजसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी माण्डलगढ़ हाल भीलवाड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री गिरधारीलाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री कैलाशचन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

—: निर्णय :—

दिनांक : 12.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भार जी का खेड़ा पटवार हल्का माण्डलगढ़ में स्थित भूमि आराजी संख्या 248 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता माण्डलगढ़ से बिजौलियाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के पास स्थित है। प्रार्थी माण्डलगढ़ से लाडपुरा व लाडपुरा से माण्डलगढ़ की ओर चलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 से होकर खसरा नम्बर 442/246 के पश्चिमी दक्षिणी कौने तक पहुँचते है। वहां से खसरा नम्बर 442/246 की दक्षिणी सीमा के बहार खसरा नम्बर 246 में होते हुये खसरा संख्या 248 तक पहुँचते है। खसरा नम्बर 442/246 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आंवटित किये जाते समय पीछे वाले खातेदारान् को उनकी खातेदारी भूमि पर पहुँचने के लिए खसरा नम्बर 246 कुलिया में रास्ता काटकर छोड़ गया जो मौके पर 30 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया जिसको खसरा नम्बर 246 से वर्णित किया गया है। खसरा नम्बर 246 किस्म भूमि गै0मु0 पहाड़ सहित किया जाकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण रास्ता चाहते है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 246 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार [illegible] के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/3388 दिनांक 30.12.2020 से [illegible] खातेदारी भूमि ग्राम भारजी का खेड़ा पटवार हल्का [illegible] 248,249,250/1,253/1,255/1,256 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी स[illegible] 246 में से रास्ते हेतु मां[illegible] है। प्रार्थीगण की आराजी 248,249,250/1,253./1,255/1,256 पर पहुँचने के लिए [illegible] की आराजी नम्बर 246 में रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम है। उक्त आराजी पर पहुँचने के लिए सरकारी तथा अन्य रास्ता नही है। भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 246 में 1.12 बीघा भूमि रास्ते

[illegible] अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

... उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 1.12 बीघा भूमि का उपयोग होगा ... खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल. ... दर 400 रूपये प्रति वर्ग फीट से 11151200 रूपये बनती है. दुगुनी दर 22302400 रूपये है।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 दिनांक 30.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन स्थिति इस प्रकार है कि संलग्न जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रार्थीगण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से रास्ते के मांग होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner